राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–08 / 2025

चमन आरा बनाम सेम्पी देवी।

08.04.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–19.03.2026** को हुई, जिसमें, वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिवाकर प्रसाद सिंह उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से श्री अमर ज्योति, वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान उपस्थित।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूरक वाद दायर किया गया एवं वाद के Maintainability को प्रश्नगत् किया गया और Maintainability पर आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा Public Fund को Embezzlement कर राशि को निकाला गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा Holding Tax संग्रह के लिए चार (04) प्रतिशत कमिशन पर ही किसी टेण्डर एजेन्सी को अनुमति प्रदान की गयी है, जबकि प्रतिवादी द्वारा लगभग दस (10) प्रतिशत कमिशन पर एजेन्सी को **'हायर'** किया गया है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि कोई भी योजना जो अधिकत्तम पंद्रह लाख तक का है, टेण्डर के माध्यम से ही किया जाना है, जबकि प्रतिवादी द्वारा Multi Scheme को छोटा–छोटा कर राशि निकालकर गवन किया गया है। एक अभियन्ता को अधिकत्तम 03 योजनाओं का कार्य दिया जा सकता है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा एक अभियन्ता को नगर परिषद् सिवान में योजनाओं का कार्य करने हेतु 200 से अधिक योजनाओं का कार्य दिया गया है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि मुख्य पार्षद, नगर परिषद् सिवान के पद पर रहते हुए, 177 योजनाओं को एक ही दिन में बिना तर्क–वितर्क किये हुए, एक ही बोर्ड के बैठक में पारित कर दिया गया है, जिसके कारण Public Fund की काफी दुरूपयोग किया गया है तथा जिला प्रशासन के प्रतिवेदन में योजनाओं का **'ब्रेक'** होने का प्रतिवेदन नहीं है, जो कि यह वाद का मुख्य बिन्दु है।

आगे इनके द्वारा बताया गया है कि प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(j) एवं (l) के तहत अयोग्य ठहराने हेतु लाया गया है, जो आयोग के अधिकारिता क्षेत्र में आता है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि यह वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(j) के तहत आयोग में Maintainable नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया है। आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(j) के तहत तभी अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जब किसी सक्षम न्यायालय / प्राधिकार द्वारा Corrupt Practice की दोषी ठहराया गया हो। आगे इनके द्वारा बताया गया कि मेरे मुवक्किल के विरूद्ध वादी तथा वादी के पति द्वारा 03 PIL (Public Interest

Litigation) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है, जिसे न्यायालय द्वारा Dismissed कर दिया गया है। कोई भी याचिका इनका सफल नहीं हुआ है।

आगे इनके द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन Media and Social Media पर Viral कर दिया गया है, जो न्यायालय एवं प्रतिवादी की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है, इससे जिला पदाधिकारी, सिवान की दुर्भावनापूर्ण मंशा स्पष्ट होती है।

आगे इनके द्वारा आयोग का ध्यान रजनी कुमारी वाद की ओर आकर्षित करते हुए बताया गया कि की मामला Disputed Question of Facts से संबंधित है, क्योंकि वादी द्वारा कोई भी साक्ष्य Corrupt Practice से संबंधित नहीं दिया गया है, इसलिए आयोग में Maintainable नहीं हैं।

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की दो धाराओं 18(1)(i) तथा 18(1)(j) के तहत मामला सुनवाई हेतु दायर किया गया है। उक्त दोनों धाराएं निरर्हता/अयोग्यता से संबंधित है, जिसपर सुनवाई की अधिकारिता बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) में आयोग को प्रदान की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा भी **रजनी कुमारी वाद** (L.P.A. No. 566/2017) में सुनवाई करते हुए, यह आदेश पारित किया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 एवं धारा–475 से आच्छादित मामलों की सुनवाई की पूर्ण अधिकारिता आयोग में निहित है।

अतः प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उक्त मामलों की सुनवाई की अधिकारिता आयोग में निहित नहीं है।

प्रतिवादी द्वारा रजनी कुमारी वाद के आलोक में यह तर्क दिया गया है कि मामला Disputed Question of Facts पर आधारित है। इस कारण आयोग इसकी सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अथवा स्वतः संज्ञान में आने वाले मामलों की सुनवाई के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रजनी कुमारी वाद के Guiding Principal के अधीन मामलो की समीक्षा की जाती है कि क्या वादी द्वारा प्रथम दृष्ट्या कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है, अथवा नहीं, जिससे उसके दावें की आंशिक पुष्टि भी हो रही हो। साथ ही साथ इस तथ्य को भी संज्ञान में रखा जाता है कि उक्त दावें के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य जिला के मूल कार्यालयों में उपलब्ध है, अथवा नहीं। आयोग जब शत–प्रतिशत उक्त तथ्यों पर आश्वस्त हो जाता है, तभी ऐसे मामले प्रारंभ किये जाते है तथा उसके उपरांत ही अभिलेखों का सत्यापन मूल कार्यालयों से प्राप्त किया जाता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के अनुदेशों तथा नैसर्गिक–न्याय के नियम के तहत प्रभावित पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। चूँकि विचाराधीन मामले में वादी द्वारा नगर परिषद्, सिवान से संबंधित अभिलेखों को साक्ष्य में लगाया है, जो प्रथम दृष्ट्या उनके दावें को बल प्रदान करते है। अतः वाद को प्रारंभ करने एवं जारी रखने का पर्याप्त आधार है। चूँकि विचाराधीन मामले

में साक्ष्य नगर परिषद्, सिवान में पूर्व से उपलब्ध Public Documents है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला Disputed साक्ष्य या Question पर आधारित है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है कि मामला Disputed Question of Facts पर आधारित है, या मामले को प्रारंभ करने हेतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। साक्ष्यों की प्रकृति या उनका सत्यापन पर विश्लेषण सुनवाई एवं गंभीर मीमांषा का विषय है, जिसके उपरांत ही वाद का निष्पादन होता है। अतः प्राप्त साक्ष्यों एवं सत्यापन पर अंतिम सुनवाई के उपरांत ही निर्णय लिया जा सकता है।

उक्त कारणों से प्रतिवादी के Preliminary Objection **एवं** Maintainability **संबंधित दावों को खारिज किया जाता है तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(i) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत वाद की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया जाता है।**

आयोग द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा तैयार प्रतिवेदन Media **एवं** Social Media **में** Viral हो जाने की घटना को संज्ञान गंभीरता से लिया गया तथा आयोग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि इसमें **संलग्न पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित करते हुए, स्पष्टीकरण** की माँग की जाए तथा उक्त कार्रवाई से आयोग को भी अवगत करायी जाए। साथ ही साथ प्राधिकृत पदाधिकारी को यह भी आदेश दिया जाता है कि **आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 48 घंटे के अन्दर करा दिया जाए।**

तदनुसार सुनवाई की **अगली तिथि–21.04.2026 को अपराह्न 03:30** में सुनिश्चित की जाती है। सभी संबंधित को सुचित किया जाए।

ह0/–

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

08.04.2026

ज्ञापांक–08/2025 1470 पटना, दिनांक 8.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान**/श्री अमर ज्योति, अपर समाहर्त्ता, **सिवान** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री अमर ज्योति, अपर समाहर्त्ता, **सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला दोनों वादी एवं प्रतिवादी को करा दिया जाए तथा तामिला प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

08/4/26

विशेष कार्य पदाधिकारी